जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
11/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 11/2016 अनवानी मनोहरलाल पुत्र रामरख जाति गायणा निवासी 4 सीसी चानना तहसील पदमपुर बनाम 1-स्टेट जरिये उपखण्ड मजि0 पदमपुर 2-बिश्नोई सभा, ग्राम चानना जरिये अध्यक्ष वेदप्रकाश निवासी चाननाधाम तहसील पदमुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.06.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजि0, पदमपुर में लंबित प्रकरण संख्या 6/2015 अनवानी बिश्नोई सभा ग्राम चानना बनाम मनोहरलाल धारा 145 सीआरपीस में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 411 सीआरपीसी के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड मजि0, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय न्यायालय उपखण्ड मजि0, पदमपुर में लंबित प्रकरण संख्या 6/2015 अनवानी बिश्नोई सभा ग्राम चानना बनाम मनोहरलाल धारा 145 सीआरपीस में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 411 सीआरपीसी के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड मजि0, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1205
1-7-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर